



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 289/17

निर्णय दिनांक:-25.06.2018

1. लालचन्द पुत्र श्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-11-2001  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 24-11-2001 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/22 में 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि स्कीम से बाहर होने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा अविज्ञाप्ति है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2001 के विरुद्ध अपील दिनांक 18-08-17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व अविज्ञाप्ति होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2001 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 18-08-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।  
  
(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/22 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।  
  
(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा अविज्ञाप्ति होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत के प्रार्थना पत्र की जाँच किये जाने पर पाया गया कि अपीलांत द्वारा आवेदित रकबा स्कीम अर्थात् विशेष आवंटन हेतु विज्ञाप्ति नहीं होने अर्थात् स्कीम से बाहर होने के कारण अपीलांत के आवंटन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।  
  
(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को जरिये नोटिस क्रमांक 12890 दिनांक 23-07-1999 को जारी किया गया कि वे आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि व वोटर लिस्ट 1971, 1975, 1980, 1985, 1993 व 1998 की प्रमाणित वोटर लिस्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, महिला आवेदक द्वारा पति/पिता का व्यवसाय का प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साईज फोटो प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलांट उक्त दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र की जांच किये जाने पर पाया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण अपीलांट के आवेदन पत्र पर आवंटन संबंधी कार्यवाही नहीं की सकती। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है तथा खारिजी की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 24-11-2001 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर